[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2014 का विधेयक संख्यांक 8

[दि वक्फ प्रोपर्टीज (इविक्शन आफ अनअथोराइज़ड आकोपेन्ट्स) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014

वक्फ संपत्तियों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 2014 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

1955 का 36

(3) यह अधिनियम दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 के अधीन प्रशासित सभी अक़ाफ और वक्फ संपत्तियों के अधीन वक्फ संपत्तियों को लागू होगा ।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे किन्हीं प्राचीन संस्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को लागू नहीं होगी, जिन्हें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और

अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिरक्षित, विनियमित या संरक्षित किया गया है । 1958 का 24

(5) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और किसी राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का किसी राज्य या उसके किसी किसी क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य या क्षेत्र में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ख) "किराया" से, किसी वक्फ संपत्ति के संबंध में, संपत्ति के प्राधिकृत अधिभोग के लिए आवधिक रूप से संदेय प्रतिफल अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं--

(i) वक्फ संपत्ति के अधिभोग के संबंध में, विद्युत, जल या किसी अन्य सेवा के लिए कोई प्रभार ;

(ii) वक्फ संपत्ति के संबंध में संदेय कोई कर (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो),

जहां ऐसा प्रभार या कर वक्फ या बोर्ड द्वारा संदेय हो ;

(ग) "कानूनी प्राधिकारी" से, वक्फ संपत्ति के संबंध में, कोई वक्फ बोर्ड या वक्फ या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत मुतवल्ली भी हैं, अभिप्रेत है ;

(घ) "अस्थायी अधिभोग" से, किसी वक्फ संपत्ति के संबंध में, वक्फ या बोर्ड द्वारा दी गई अनुज्ञा के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी कुल अवधि के लिए (जिसके अंतर्गत विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, भी है) जो तीस दिन से कम की हो, अधिभोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "अधिकरण" से वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है ; 1995 का 43

(च) "अप्राधिकृत अधिभोग" से, किसी वक्फ संपत्ति के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अधिभोग के प्राधिकार के बिना वक्फ संपत्ति का अधिभोग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कानूनी प्राधिकार के पश्चात् (चाहे वह पट्टे के रूप में हो या अंतरण के किसी ढंग के रूप में हो), जिसके अधीन उस व्यक्ति को संपत्ति के अधिभोग की अनुज्ञा दी गई थी, अधिभोगी बने रहना भी है, जिसका अवसान हो गया है या जिसका किसी भी कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, पर्यवसान कर दिया गया है ;

(छ) "वक्फ" से निम्नलिखित में से कोई वक्फ संपत्तियां अभिप्रेत हैं, अर्थात् :--

(i) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 3 के खंड (द) में निर्दिष्ट ऐसी कोई जंगम या स्थावर संपत्ति, जिसके अंतर्गत कोई भूमि या कोई भवन या भवन का कोई भाग भी है, और इसके अंतर्गत हैं-- 1995 का 43

(ii) ऐसे भवन या किसी भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, जल सरणियां, मैदान, यदि कोई हों ; और

(iii) ऐसे भवन या भवन के भाग से उसके अत्याधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए जुड़ी कोई फिटिंग ;

1995 का 43

(ज) "वक्फ संपदा अधिकारी" से वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 23 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु वक्फ अधिनियम, 1995 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम के अधीन क्रमशः उनके हैं ।

1995 का 43

अस्थायी अधिभोग से बेदखली ।

3. धारा 4 या धारा 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि वक्फ संपदा अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह मामले की परिस्थितियों में समीचीन समझे, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे किसी वक्फ संपत्ति के अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा दी गई थी, उक्त संपत्ति का अप्राधिकृत अधिभोगी है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे व्यक्ति की तुरंत बेदखली का आदेश कर सकेगा और तदुपरि यदि ऐसा व्यक्ति बेदखली के उक्त आदेश का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसके अनुपालन में असफल रहता है, तो वह उसे वक्फ संपत्ति से बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए वह ऐसे बल का, जो आवश्यक हो, प्रयोग कर सकेगा ।

बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण बताओ सूचना का जारी किया जाना ।

4. (1) यदि वक्फ संपदा अधिकारी की यह राय है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अप्राधिकृत अधिभोगी है और उसे बेदखल किया जाना चाहिए, तो वह इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में उस व्यक्ति से इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि बेदखली का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए, लिखित में एक सूचना जारी करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में,--

(क) उन आधारों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिन पर बेदखली का आदेश किया जाना प्रस्तावित है ; और

(ख) उस व्यक्ति से, जो वक्फ संपत्ति में का अधिभोगी है या हो सकता है या उसमें हित का दावा करता है,--

(i) प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, उस तारीख को या उसके पूर्व, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, जो कि उसके जारी किए जाने की तारीख से सात दिन से पूर्व की तारीख न हो, दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी ; और

(ii) वक्फ संपदा अधिकारी के समक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को, उस साक्ष्य के साथ, जिसको वह कारण दर्शित करने के समर्थन में प्रस्तुत करने का आशय रखता है, तथा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी, यदि ऐसी सुनवाई वांछित है, हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) वक्फ संपदा अधिकारी उस सूचना की रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उसे वक्फ संपदा के बाह्य द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर और ऐसी अन्य रीति में, जो विहित की जाए, तामील कराएगा, तत्पश्चात् वह सूचना संबंधित व्यक्ति को सम्यक् रूप से दी गई समझी जाएगी ।

अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ।

5. (1) यदि, धारा 4 के अधीन किसी सूचना के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित कारण, यदि कोई हो, और धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, उसके समर्थन में, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् तथा व्यक्तिगत सुनवाई, यदि कोई हो, करने के पश्चात् वक्फ संपदा अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वक्फ संपत्ति को अप्राधिकृत अधिभोग में रखा हुआ है तो वक्फ संपदा अधिकारी बेदखली का आदेश, उसमें लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह निदेश देते हुए कर सकेगा कि वक्फ संपत्ति को उस व्यक्ति द्वारा, जो उसका अधिभोगी हो, उस

तारीख को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, खाली कर दिया जाए और उस आदेश की एक प्रति की रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उस वक्फ संपत्ति के बाह्य द्वार पर किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपकवा कर तामील कराएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व या उपधारा (1) के अधीन उसके प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, अनुपालन करने से इंकार करता है या उसमें असफल रहता है, तो वक्फ संपदा अधिकारी या वक्फ संपदा अधिकारी द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् या पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पश्चात्, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस व्यक्ति को वक्फ संपत्ति से बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा और तत्प्रयोजनार्थ ऐसे बल का, जो आवश्यक हो, प्रयोग कर सकेगा ।

अप्राधिकृत निर्माण आदि को हटाने की शक्ति ।

6. (1) कोई भी व्यक्ति किसी वक्फ संपत्ति पर या उसके बराबर या उसके सामने,--

(क) किसी भवन या किसी जंगम या स्थावर संरचना या फिक्सचर का परिनिर्माण करने या उसे लगाने या खड़ा करने का कार्य ;

(ख) किसी माल के संप्रदर्शन या प्रसारण का कार्य ; या

(ग) किसी पशु या अन्य जीवजंतु को लाने और रखने का कार्य,

अनुज्ञा, चाहे वह पट्टे के रूप में हो या अंतरण के किसी अन्य ढंग के रूप में हो, के अनुसार, जिसके अधीन उसे ऐसी संपत्ति के अधिभोग की अनुज्ञा दी गई थी, ही करेगा अन्यथा नहीं ।

(2) जहां किसी संपत्ति या अन्य स्थावर संरचना या फिक्सचर का उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी वक्फ संपत्ति पर परिनिर्माण किया गया है, उसे लगाया गया है या खड़ा किया गया है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी ऐसे भवन या अन्य संरचना या फिक्सचर का परिनिर्माण करने वाले व्यक्ति पर एक सूचना उससे इस बात की अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा कि वह या तो वक्फ संपत्ति से ऐसे भवन या अन्य संरचना या फिक्सचर को सात दिन से अन्यून की ऐसी अवधि के भीतर, जो वह सूचना में विनिर्दिष्ट करे, हटा ले या इस बात का कारण दर्शित करे कि वह उसे क्यों नहीं हटाएगा और उस व्यक्ति द्वारा इस बात का कारण दर्शित करने का लोप करने या वक्फ संपत्ति से ऐसे भवन या अन्य संरचना या फिक्सचर को हटाने से इंकार करने पर अथवा जहां दर्शित किया गया कारण वक्फ संपदा अधिकारी की राय में पर्याप्त नहीं है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी, आदेश द्वारा, वक्फ संपत्ति से उस भवन या अन्य संरचना या फिक्सचर को हटा सकेगा अथवा हटवा सकेगा और ऐसे हटाए जाने का खर्च पूर्वोक्त व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा ।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी वक्फ संपत्ति पर किसी जंगम संरचना या फिक्सचर का परिनिर्माण किया गया है, उसे उस पर लगाया गया है या खड़ा किया गया है या किसी माल का संप्रदर्शन या प्रसारण किया गया है या किसी पशु या अन्य जीवजंतु को उसमें लाया या रखा गया है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी, आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे संरचना, फिक्सचर, माल, पशु या अन्य जीवजंतु को वक्फ संपत्ति से सूचना के बिना हटा सकेगा या हटवा सकेगा और ऐसे हटाए जाने का खर्च उस व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा ।

अप्राधिकृत निर्माण को ढा देने का आदेश ।

7. (1) जहां किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, किसी वक्फ संपत्ति पर, जो अनुज्ञा के अधीन, चाहे वह पट्टे के रूप में हो या अंतरण किसी अन्य ढंग के रूप में, ऐसी वक्फ संपत्ति का अधिभोगी है, किसी भवन का परिनिर्माण या किसी संकर्म का निष्पादन प्रारंभ कर दिया गया है या किया जा रहा है या पूरा किया जा चुका है और भवन का ऐसे परिनिर्माण या संकर्म के निष्पादन से ऐसे प्राधिकार का उल्लंघन होता है या प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत नहीं

है वहां वक्फ संपदा अधिकारी ऐसी किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के अधीन या पूर्वोक्त अनुज्ञा के निबंधनों के अनुसार की जाए, ऐसा आदेश, उसमें लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह निदेश देते हुए दे सकेगा कि ऐसे परिनिर्माण अथवा संकर्म को उस व्यक्ति द्वारा, जिसके कहने पर यह परिनिर्माण या संकर्म प्रारंभ किया गया है या किया जा रहा है या पूरा किया जा चुका है, ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ढा दिया जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक संबंधित व्यक्ति को सात दिन से अन्यून की एक सूचना के माध्यम से विहित रीति में इस बात का कारण बताने का कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए, युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(2) जहां परिनिर्माण या संकर्म पूरा नहीं हुआ है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी उसी आदेश द्वारा या किसी पृथक् आदेश द्वारा, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन सूचना जारी किए जाने के समय पर या किसी अन्य समय पर किया गया हो, उस व्यक्ति को, जिसके कहने पर परिनिर्माण या संकर्म प्रारंभ किया गया है या किया जा रहा है, उस अवधि के अवसान तक उस परिनिर्माण या संकर्म को रोकने का निदेश दे सकेगा, जिसके भीतर ढा देने के आदेश, यदि कर दिया जाए, के विरुद्ध अपील धारा 12 के अधीन प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) वक्फ संपदा अधिकारी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या वक्फ संपत्ति के बाह्य द्वार पर या उसके किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकवाकर तामील कराएगा ।

(4) जहां वक्फ संपदा अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन ढा देने संबंधी किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां वक्फ संपदा अधिकारी द्वारा उस उपधारा के अधीन ढा देने संबंधी किए गए आदेश की अपील में, चाहे परिवर्तन सहित या उसके बिना, अभिपुष्टि कर दी गई है, वहां वह व्यक्ति, उस आदेश का, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, यथास्थिति, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी अवधि, यदि कोई हो, के भीतर, जो अपील किए जाने पर अधिकरण द्वारा नियत की जाए, आदेश का अनुपालन करेगा और उस व्यक्ति द्वारा उस अवधि के भीतर आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर वक्फ संपदा अधिकारी या वक्फ संपदा अधिकारी द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उस परिनिर्माण या संकर्म को, जिसके संबंध में आदेश किया गया है, ढा देने का कार्य करा सकेगा ।

(5) जहां किसी परिनिर्माण या संकर्म को ढा दिया गया है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी, आदेश द्वारा, संबंधित व्यक्ति से ऐसे ढा देने के कार्य के व्ययों का, उस अवधि के भीतर और उतनी किस्तों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

अप्राधिकृत निर्माण को सील करने की शक्ति ।

8. (1) वक्फ संपदा अधिकारी के लिए, धारा 7 के अधीन ढा देने का आदेश किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने अथवा ऐसे परिनिर्माण या संकर्म की प्रकृति और विस्तार से संबंधित किसी विवाद को रोकने के प्रयोजन के लिए ऐसे परिनिर्माण या संकर्म को या उस वक्फ संपत्ति को, जिसमें ऐसा परिनिर्माण या संकर्म प्रारंभ किया गया है या किया जा रहा है या पूरा किया जा चुका है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सील करने का निदेश देने संबंधी आदेश करना विधिपूर्ण होगा ।

(2) जहां कोई परिनिर्माण या संकर्म ऐसी किसी वक्फ संपत्ति को, जिसमें ऐसा कोई परिनिर्माण या संकर्म किया जा रहा है, सील कर दिया गया है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी ऐसे परिनिर्माण या संकर्म को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ढा देने के प्रयोजन के लिए ऐसी सील को हटाने का आदेश कर सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति,--

(क) वक्फ संपदा अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश ; या

(ख) अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील में किए गए आदेश,

के अधीन ही ऐसी सील को हटा सकेगा, अन्यथा नहीं ।

अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा वक्फ संपत्ति पर छोड़ दी गई संपत्ति का व्ययन ।

9. (1) जहां किसी व्यक्ति को धारा 5 के अधीन किसी वक्फ संपत्ति से बेदखल किया गया है या जहां किसी भवन या अन्य संकर्म को धारा 7 के अधीन ढा दिया गया है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी, उस व्यक्ति को, जिससे वक्फ संपत्ति का कब्जा लिया गया है, चौदह दिन की सूचना देने के पश्चात् और उस सूचना को, कम से कम एक ऐसे समाचार पत्र में, जिसका उस परिक्षेत्र में परिचालन हो, सूचना प्रकाशित करने के पश्चात् उस संपत्ति पर पड़ी हुई किसी संपत्ति को हटा सकेगा या हटवा सकेगा या उसका लोक नीलामी द्वारा व्ययन कर सकेगा ।

(2) जहां किसी माल, सामग्री, पशु या अन्य जीव-जंतु को किसी वक्फ संपत्ति से धारा 6 के अधीन हटाया गया है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे माल, सामग्री, पशुओं या अन्य जीव-जंतुओं का स्वामी है, चौदह दिन की सूचना देने के पश्चात् और उस सूचना को, ऐसे किसी एक समाचार पत्र में, जिसका उस परिक्षेत्र में परिचालन है, प्रकाशित करने के पश्चात् लोक नीलामी द्वारा ऐसे माल, सामग्री, पशुओं या जीव-जंतुओं का व्ययन कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसमें निर्दिष्ट किसी सूचना का ऐसी किसी संपत्ति की बाबत, जो शीघ्रतापूर्वक और प्रकृत्या क्षयशील है, दिया जाना या उसका प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा और वक्फ संपदा अधिकारी ऐसे साक्ष्य को, जो वह ठीक समझे, लेखबद्ध करने के पश्चात्, ऐसी संपत्ति का ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, विक्रय कराएगा या उसका अन्यथा व्ययन कराएगा ।

(4) जहां किसी संपत्ति का उपधारा (1) के अधीन विक्रय किया जाता है, वहां उन विक्रय आगमों का, उसमें के विक्रय के व्ययों की तथा वक्फ या वक्फ बोर्ड को किराए या नुकसानी या खर्चों के मद्दे शोध्य राशि की, यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात् उस व्यक्ति को संदाय किया जाएगा जो वक्फ संपदा अधिकारी को उसे पाने का हकदार प्रतीत हो :

परंतु जहां वक्फ संपदा अधिकारी इस बारे में कि अतिशेष रकम किस व्यक्ति को संदेय है या उसके प्रभाजन के संबंध में विनिश्चय करने में असमर्थ है, वहां ऐसा विवाद सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकेगा और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट "खर्च" पद के अंतर्गत धारा 6 के अधीन हटाए जाने का वसूलनीय खर्च और धारा 7 के अधीन ढा देने का वसूलनीय खर्च भी आएगा ।

वक्फ संपत्तियों की बाबत किराए या नुकसानी के संदाय की अपेक्षा करने की शक्ति ।

10. (1) जहां किसी व्यक्ति पर किसी वक्फ संपत्ति की बाबत संदेय कर बकाया है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से उसका ऐसे समय के भीतर और इतनी किस्तों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी वक्फ संपत्ति का अप्राधिकृत अधिभोगी है या किसी समय रहा है, वहां वक्फ संपदा अधिकारी नुकसानी के निर्धारण के ऐसे सिद्धांतों को, जो विहित किए जाएं, ध्यान में रखते हुए ऐसी संपत्ति के उपयोग या अधिभोग के मद्दे नुकसानी का निर्धारण कर सकेगा और आदेश द्वारा उस व्यक्ति से नुकसानी का, ऐसे समय के भीतर और उतनी किस्तों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) वक्फ संपदा अधिकारी, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश करते हुए यह निदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, किराए या नुकसानी या खर्चों की बकाया

1978 का 14

साधारण ब्याज सहित ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, और जो ब्याज अधिनियम, 1978 के अर्थान्तर्गत ब्याज की वर्तमान दर से अधिक की न हो, देय होगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस व्यक्ति को, ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उससे इस बात का कारण बताने की अपेक्षा करने की कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए, लिखित सूचना जारी किए जाने के पश्चात् और उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और ऐसे किसी साक्ष्य पर, जो वह उसके समर्थन में प्रस्तुत कर सकता है, वक्फ संपदा अधिकारी द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् ही जारी किया जाएगा ।

वक्फ संपदा अधिकारी की शक्ति ।

11. वक्फ संपदा अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन जांच कराने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विषयों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :--

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ; और

(ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

अपीलें ।

12. (1) धारा 5 या धारा 7 या धारा 8 या धारा 10 के अधीन वक्फ संपदा अधिकारी द्वारा किसी वक्फ संपत्ति की बाबत किए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उस क्षेत्र में, जहां ऐसी संपत्ति स्थित है, अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील,--

(क) धारा 5 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आदेश के प्रकाशन की तारीख से बारह दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ;

(ख) धारा 7 या धारा 10 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, उस तारीख से, जिसको अपीलार्थी को उस आदेश की संसूचना दी जाती है, बारह दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ; और

(ग) धारा 8 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, ऐसे आदेश की तारीख से बारह दिन के भीतर की जाएगी :

परंतु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को अपील समय के भीतर फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा ।

(3) जहां कोई अपील, वक्फ संपदा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाती है, वहां अधिकरण उस अवधि तक और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, उक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकेगा :

परंतु जहां किसी भवन या अन्य संरचना या फिक्सचर का सन्निर्माण या परिनिर्माण कार्य या किसी अन्य संकर्म का निष्पादन उस दिन को पूरा नहीं हुआ है, जिसको धारा 7 के अधीन ऐसे भवन या अन्य संरचना या फिक्सचर को ढा देने या हटाने का आदेश किया गया था, वहां अधिकरण तब तक ऐसे आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने का आदेश नहीं करेगा, जब तक ऐसी प्रतिभूति, जो अधिकरण की राय में पर्याप्त हो, अपीलार्थी द्वारा अपील का निपटारा होने तक ऐसे सन्निर्माण, परिनिर्माण या संकर्म पर आगे कार्यवाही न किए जाने के संबंध में दे न दी गई हो ।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील का निपटारा अधिकरण द्वारा यथासंभव शीघ्रता के साथ किया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपील के खर्चे अधिकरण के विवेकाधीन होंगे ।

आदेशों का अंतिम होना ।

13. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, वक्फ संपदा अधिकारी या अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उसे किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन की कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई आदेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

अपराध और शास्ति ।

14. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी वक्फ संपत्ति का विधिविरुद्ध अधिभोग रखेगा, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी वक्फ संपत्ति का विधिविरुद्ध अधिभोगी होने पर, किसी अनुज्ञा के आधार पर (चाहे वह पट्टे के रूप में हो या अंतरण के किसी अन्य ढंग के रूप में हो) उस संपत्ति का उस अनुज्ञा के विधिमान्य न रह जाने के पश्चात् भी अधिभोगी बना रहता है, ऐसे अपराध का दोषी नहीं होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसे किसी वक्फ संपत्ति से इस अधिनियम के अधीन बेदखल किया गया है, ऐसे अधिभोग के लिए अनुज्ञा लिए बिना संपत्ति को पुनः अधिभोग में लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने वाला कोई मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बेदखल करने संबंधी कोई आदेश संक्षेप में कर सकेगा और वह ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बेदखली के दायित्वाधीन होगा ।

धारा 14 के अधीन के अपराधों का संक्षेप में होना ।

15. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 14 के अधीन ऐसे किसी अपराध को इस प्रकार लागू होगी, मानो वह,-- 1974 का 2

(क) ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए ; और

(ख)(i) उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों के प्रयोजनों के लिए, और

(ii) बोर्ड के किसी अधिकारी को, जो केंद्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य हो, या जहां ऐसी समतुल्य पंक्ति के अधिकारी को विनिर्दिष्ट करना संभव न हो, वहां ऐसे कार्यपालक अधिकारी को, जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद के सिवाय किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से भिन्न मामलों के प्रयोजनों के लिए,

कोई संज्ञेय अपराध है ।

सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति ।

16. यदि वक्फ संपदा अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी वक्फ संपत्ति का अप्राधिकृत अधिभोगी है, तो वक्फ संपदा अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से वक्फ संपत्ति के अधिभोगी व्यक्ति के नाम और अन्य विशिष्टियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे इस प्रकार अपेक्षा की गई है, अपने कब्जे में की सूचना प्रस्तुत करने के लिए आबद्धकर होगा ।

वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व ।

17. (1) जहां किसी व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध किराए की बकाया का अवधारण करने का या नुकसानी के निर्धारण या ऐसे किराए या नुकसानी की ऐसी बकाया पर ब्याज के रूप में संदेय रकम का अवधारण करने संबंधी कोई कार्यवाही की जानी है या की गई है, कार्यवाही किए जाने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, वहां वह कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध, यथास्थिति, की जा सकेगी या जारी रखी जा सकेगी ।

(2) जहां किसी व्यक्ति की, जिससे, यथास्थिति, किसी भवन या अन्य संरचना या फिक्सचर या किसी माल, पशु या अन्य जीवजन्तुओं के हटाए जाने के खर्च की धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन वसूली की जानी है या उनको ढा देने के किन्हीं व्ययों की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन वसूली की जानी है, ऐसे खर्च की वसूली के लिए कोई कार्यवाही किए जाने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, वहां वह कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध, यथास्थिति, की जा सकेगी या जारी रखी जा सकेगी ।

(3) किसी व्यक्ति से किसी वक्फ या बोर्ड को किराए की बकाया या नुकसानी या धारा 6 में निर्दिष्ट हटाए जाने के खर्च के रूप में या धारा 7 में निर्दिष्ट ढा देने के व्यय के रूप में या धारा 10 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में या किसी अन्य खर्च के रूप में देय कोई राशि उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा संदेय होगी, किंतु उनका दायित्व मृतक की उनके पास की आस्तियों की सीमा तक ही सीमित होगा ।

किराए आदि की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली ।

18. यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन ढा देने के संदेय व्ययों का या धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संदेय किराए की बकाया का या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन संदेय नुकसानी का या उपधारा (3) के अधीन अवधारित ब्याज का या धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन वक्फ या बोर्ड को अधिनिर्णीत खर्चों का या ऐसे किराए, नुकसानी, व्ययों, ब्याज या खर्चों के किसी भाग का ऐसे समय के भीतर, यदि कोई हो, जो उसके लिए उससे संबंधित आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, संदाय करने से इनकार करता है या उसमें असफल रहता है, तो वक्फ संपदा अधिकारी देय रकम के लिए एक प्रमाणपत्र कलक्टर को जारी कर सकेगा जो उसकी भू-राजस्व के रूप में वसूली करने की कार्यवाही करेगा ।

अधिकारिता का वर्जन ।

19. किसी भी न्यायालय को,--

(क) ऐसे किसी व्यक्ति की बेदखली, जो किसी वक्फ संपत्ति का अप्राधिकृत अधिभोगी है ; या

(ख) किसी भवन, संरचना या फिक्सचर या माल, पशु या जीवजन्तु को धारा 6 के अधीन किसी वक्फ संपत्ति से हटाए जाने ; या

(ग) ऐसे किसी भवन या अन्य संरचना को, जो धारा 7 के अधीन बनाया गया था या जिसके बनाए जाने का आदेश किया गया है, ढा देने ; या

(घ) किसी परिनिर्माण या संकर्म या किसी वक्फ संपत्ति को धारा 8 के अधीन सीलबंद करने ; या

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर की बकाया या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन संदेय नुकसानी या उपधारा (3) के अधीन संदेय ब्याज ; या

(च)(i) धारा 6 के अधीन किसी भवन, संरचना या फिक्सचर या माल, पशु या अन्य जीवजन्तु को हटाए जाने के खर्च ; या

(ii) धारा 7 के अधीन ढा देने के व्यय ; या

(iii) किसी वक्फ बोर्ड द्वारा धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन अधिनिर्णीत खर्च ; या

(iv) ऐसे किराए, नुकसानी, हटाए जाने के खर्च, ढा देने के व्यय या किसी वक्फ या बोर्ड और अधिनिर्णीत खर्च,

की वसूली,

की बाबत कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

20. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी वक्फ या बोर्ड या वक्फ संपदा अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

21. बोर्ड, राज्य में के तीन समाचारपत्रों में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, बोर्ड के ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

22. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) ऐसी किसी सूचना का प्ररूप जो इस अधिनियम के अधीन दी जानी अपेक्षित या प्राधिकृत है और वह रीति जिसमें उसकी तामील की जा सकेगी ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करना ;

(ग) वक्फ संपत्तियों का कब्जा लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) वह रीति जिसमें अप्राधिकृत अधिभोग के लिए नुकसानी का निर्धारण किया जा सकेगा और वे सिद्धांत, जिन पर ऐसी नुकसानी का निर्धारण करने में ध्यान दिया जाएगा ;

(ङ) वह रीति, जिसमें किसी परिनिर्माण या संकर्म या किसी वक्फ संपत्ति को धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सील किया जाएगा ;

(च) वह दर, जिस पर धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट किराए की बकाया पर ब्याज संदेय होगा या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन निर्धारित नुकसानी ;

(छ) वह रीति जिसमें अपीलें प्रस्तुत की जा सकेंगी और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाएगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना ।

23. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वक्फ अधिनियम, 1995 का वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा, जो 1 नवंबर, 2013 से प्रवर्तन में आया है, संशोधन किया गया है । वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 में वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने का उपबंध किया गया है ; तथापि, यह उपबंध वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण या अवैध अधिभोग के संबंध में कार्रवाई किए जाने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है ।

2. सच्चर समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 को वक्फ संपत्तियों के संबंध में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि ये संपत्तियां जनसाधारण के फायदे के लिए हैं, न कि किसी व्यष्टि के लिए । वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में यह भी कथित किया है कि सभी राज्य सरकारें वक्फ संपत्तियों को राज्यीय सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के अधीन ला सकती हैं । किंतु, केवल कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा राज्य सरकारों द्वारा ही अपने राज्यों के सरकारी स्थान अधिनियमों में वक्फ को सम्मिलित किया गया है । राज्य सभा की प्रवर समिति ने वक्फ पर सच्चर समिति और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को दोहराया है ।

3. शहरी विकास मंत्रालय ने यह कथित किया है कि वक्फ संपत्तियां सरकार के दायित्वाधीन नहीं हैं और न ही सरकार द्वारा किराए पर ली जाती हैं, अतः इन्हें सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है । विधि और न्याय मंत्रालय ने भी यह सलाह दी है कि वक्फ को उक्त सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत लाना विधिक रूप से साध्य नहीं है ।

4. अतः, भारत सरकार का वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014 लाए जाने का प्रस्ताव है जो कि संपूर्ण देश में एकरूपता लाएगा और इसमें वक्फ संपत्तियों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए एक त्वरित तंत्र का उपबंध किया जाएगा । विधेयक में इस बारे में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया जाना आशयित है ।

5. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 फरवरी, 2014

के. रहमान खां

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 22 में केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है । उपखंड (2) में उन विषयों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये विषय भी आएंगे : (क) ऐसी किसी सूचना का प्ररूप जो प्रस्तावित विधान के अधीन दी जानी अपेक्षित या प्राधिकृत है और वह रीति जिसमें उसकी तामील की जा सकेगी ; (ख) प्रस्तावित विधान के अधीन जांच करना ; (ग) वक्फ संपत्तियों का कब्जा लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; (घ) वह रीति, जिसमें अप्राधिकृत अधिभोग के लिए नुकसानी का निर्धारण किया जा सकेगा और वे सिद्धांत, जिन पर ऐसी नुकसानी का निर्धारण करने में ध्यान दिया जाएगा ; (ङ) वह रीति, जिसमें किसी परिनिर्माण या संकर्म या किसी वक्फ संपत्ति को खंड 8 के उपखंड (1) के अधीन सील किया जाएगा ; (च) वह दर, जिस पर खंड 10 के उपखंड (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट किराए की बकाया पर ब्याज संदेय होगा या उस खंड के उपखंड (2) के अधीन निर्धारित नुकसानी ; (छ) वह रीति, जिसमें अपीलें प्रस्तुत की जा सकेंगी और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; (ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाएगा । उक्त खंड के उपखंड (3) में यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित होगा ।

2. वे विषय जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—4383RS(CRC)—13.02.2014.